राजस्थान सरकार

कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग

कार्यालय मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, सी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

ईमेल rajfab@rajasthan.gov.in टेलीफोन 0141-2709659

क्रमांक: FPS-HQ-RajFAB(6)/FB/2025-01064-7313475 दिनांक: 09.04.2025

राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के नियम 12बी के तहत

दिशा निर्देश (guidelines and instructions)

राज्य के अधिकांश भागों में चालू वर्ष के दौरान गर्म मौसम में तापमान सामान्य से अधिक होने की संभावना है। राज्य में बढते तापमान के कारण लू-ताप के प्रभाव के न्यूनीकरण एवं बचाव के संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों की पालना में राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के नियम 12बी के तहत राज्य में कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये प्रत्येक कारखाना प्रबंधन को चालू वर्ष में अत्यधिक गर्म मौसम के प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन और शमन के लिए निम्न प्रभावी कदम/उपाय सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है-

1. ग्रीष्म ऋतु के दौरान ऐसे श्रमिक, जो सीधे सूरज की तेज धूप में काम करते हैं, उनको छाया की व्यवस्था करें।
2. कार्यस्थलों में समुचित स्थानों पर पीने के पानी की पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करें।
3. ग्रीष्म ऋतु के दौरान बचाव हेतु श्रमिकों के लिए आपातकालीन आइस-पैक (Ice Pack) और गर्मी की रोकथाम सामग्री का प्रावधान करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Harish Kumar Gupta
Designation : Chief Inspector
Date: 2025.04.09 20:38:29 IST
Reason: Approved

4. श्रमिकों को गर्मी के दुःष्प्रभावों से बचाने के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार/चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय जारी दिशा-निर्देशों व स्वास्थ्य सलाह (Health Advisory) की पालना सुनिश्चित करें।
5. जहां तक संभव हो, विश्राम क्षेत्र कार्यस्थल के निकट स्थित होने चाहिए एवं सुनिश्चित करें कि पर्याप्त मात्रा में ठंडा पानी और इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट उपलब्ध हो। गर्म परिस्थितियों में श्रमिकों को बार-बार पानी पीने हेतु प्रेरित करें।
6. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यस्थल पर पर्याप्त वेंटिलेशन हो।
7. कारखाने में सक्षम व्यक्ति के पास प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध होना सुनिश्चित करें।
8. श्रमिकों को अत्यधिक गर्मी से होने वाले खतरों और उपचारात्मक उपायों से अवगत कराया जाना चाहिए।

(हरीश कुमार गुप्ता)
मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
राजस्थान, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Harish Kumar Gupta
Designation : Chief Inspector
Date: 2025.04.09 20:38:29 IST
Reason: Approved